न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 209/15
निर्णय दिनांक: 18.06.2018

1. रामलाल पुत्र धीसा जाति बलाई नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र नाथू
2. भागचन्द पुत्र नाथू
3. प्रेमदेवी पत्नि रामलाल
   समस्त जाति बलाई नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
4. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की संयुक्त कब्जें काश्त की व खातेदारी की आराजीयात पुराना खाता सं0 502 व नया खाता सं0 505 खं0नं0 456 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 457 रकबा 2 बीघा 11 विस्वा, खं0नं0 458 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 13 विस्वा वाकै ग्राम हिरनोदा प0ह0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि विवादित है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/4 हिस्सा है ओर प्रतिवादी सं0 3 का 1/2 हिस्सा उक्त आराजीयात में है जो कि राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद है ओर इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सें पर कब्जे काश्त है ओर काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जें की काश्त है ओर विवादग्रस्त आराजी अविभाजित आराजी है विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है मौके पर कोई फाटबन्दी नहीं है न नाप चौक हो रखा है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 व 2 आयेदिन वादी से लड़ाई झगड़ा करते आ रहे है ओर वादी की आराजीयात के हिस्सें में बाजोत करते रहते है वादी द्वारा मना करने पर वादी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाते है वादी द्वारा कई बार उक्त आराजीयात का विधिवत्

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

तकासमा करवाने के लिए पटवारी व तहसीलदार जी के पास जाने के लिए कहता है तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 मना कर देते है इसलिए उक्त आराजीयात का विधिवत् बंटवारा नही हो पा रहा है प्रतिवादी सं0 3 वादी की धर्मपत्नि होने से वह तकासमा करवाने के लिए तैयार है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 व 2 उक्त आराजीयात का तकासमा करवाने के लिए तैयार नही है। दिनांक 25.09.15 को वादी व प्रतिवादी सं0 3 अपने संयुक्त काश्त पर काम कर रहे थे तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 आये ओर वादी व उसकी पत्नि के साथ गालिया निकालने लगे ओर मारपीट पर आमादा हो गये ओर उक्त आराजीयात पर निकलने के लिए कहा तुम्हारा यहा कोई लेना देना नही है यहा पर कोई भी काम मत करो ओर आयंदा कभी यहा पर नहीं आना। वादी व उसकी पत्नि ने मना किया तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा पर आ गये ओर हो हल्ला सुनकर आस पड़ौस के लोग आये तो प्रतिवादीगण भाग गये ओर जाते जाते ऐलानिया कह गये कि हम लोगों ने इस आराजीयात का बेचान कर दिया है। उक्त आराजीयात का बेचान कर दिया गया तो वादी व प्रतिवादी सं0 3 को काफी हकतलफी होगी ओर नाजायज रूप से नुकसान होगा क्योकिं उक्त आराजीयात का विधिवत् तकासमा नहीं हो रखा है इसलिए विधिवत् तकासमा करवानें के लिए उक्त वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तरफ से वकील श्री भागचन्द सांभरिया ने व प्रतिवादी सं0 3 की तरफ से वकील श्री मुकेश अहलूवालिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से वकील श्री लोकेश शर्मा ने व प्रतिवादी सं0 3 की ओर से वकील श्री राजेश सैनी ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली दिनांक 21.06.17 को राजस्व लोक अदालत केम्प हिरनोदा में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित है उपस्थित पक्षकारान ने विवादित आराजी की सहमति से बाई मिट्स एण्ड बोन्डस व मौके के कब्जेनुसार विभाजन करने निवेदन किया जिस पर वादी का बाई मिट्स एण्ड बोन्डस व मौके के कब्जेनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया। इस प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

तहसीलदार फुलेरा को पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 23.06.17 को लिखा गया था। जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने नक्शें कुरेजात तैयार कर उनके पत्र क्रमांक एल0आर0/17/4500 दिनांक 10.10.17 के द्वारा भिजवाकर इस न्यायालय को दिनांक 14.11.17 को प्राप्त हुयें जो शामिल पत्रावली कियें गये।

वकील प्रतिवादीगण की ओर से नक्शें कुरेजात पर आपति व्यक्त की गयी। उक्त आपति का वादी द्वारा जवाब पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प हिरनोदा में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित है लोक अदालत की भावना से पक्षकारों को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा नक्शें कुरेजात के सम्बन्ध में मुख्य आपति यह है कि जो गै0मु0 चाह नक्शें में दर्शाया गया है वह संयुक्त रूप से खातेदारी में है तथा उसमें पहुचनें के लिए कोई रास्ता नहीं दर्शाया है जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रा0पत्र पेश कर यह स्वीकृत किया गया कि गै0मु0 चाह पर पहुचनें के लिए वादी के हिस्सों में से रास्तें के रूप में जाने वाली 1 बिस्वा आराजी कम करते हुए उक्त रास्ता संयुक्त रूप से खातेदारी मे दर्ज करते हुए रास्ता नक्शें कुरेजात में दर्ज कर मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पक्षकारान को लोक अदालत की भावना से सुना जाकर प्राप्त नक्शें कुरेजात में इस संशोधन के साथ वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है कि वादी व प्रतिवादी सं0 3 के हिस्सें में दी गयी आराजी खं0नं0 457 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बिस्वा आराजी कम करते हुए उक्त 1 बिस्वा आराजी गै0मु0 रास्तें के रूप में गै0मु0 चाह पर पहुचने हेतु रास्ता दर्शाते हुए नक्शें कुरेजात में संशोधित किया जाता है उक्त रास्तें की भूमि के नवीन खं0नं0 अंकित कर उक्त रास्तें की भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में अंकित किया जाकर नक्शें में तरमीम की जावे। उपरोक्तानुसार वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत लोक अदालत की भावना से तकासमा मुताबिक नक्शें कुरेजात इस संशोधन के साथ अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम हिरनोदा के आराजी खं0नं0 457 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मे से 1 बिस्वा आराजी

उपखंड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

गै0मु0 चाह पर पहुचनें हेतु गै0मु0 रास्तें के रूप में पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करते हुए उक्त 1 विस्वा भूमि का नवीन खं0नं0 457 मिन अंकित कर नक्शें में रास्तें की तरमीम की जावें तथा खं0नं0 457 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा खं0नं0 458 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 18 विस्वा का प्रेमदेवी पत्नि रामलाल हि0 2/3 रामलाल पुत्र घीसा हि0 1/3 जाति बलाई सा0देह0 को तथा खं0नं0 1658/457 रकबा 13 विस्वा, खं0नं0 1657/458 रकबा 1 बीघा किता 2 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा का लालचन्द भागचन्द पि0 नाथू जाति बलाई सा0देह0 को तथा खं0नं0 456 रकबा 1 विस्वा व खं0नं0 457 मि0 रकबा 1 विस्वा गै0मु0 रास्ता किता 2 कुल रकबा 2 विस्वा का प्रेमदेवी पत्नि रामलाल हि0 1/2 लालचन्द, भागचन्द पि0 नाथू हि0 1/4 रामलाल पुत्र घीसा हि0 1/4 कौम बलाई सा0देह0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.18 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प हिरनोदा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

रामलाल   बनाम   लालचन्द वगैरा

दावा बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 209/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री लोकेश शर्मा व हाजरी श्री श्री भागचन्द सांभरिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत लोक अदालत की भावना से तकासमा मुताबिक नक्शे फुरेजात इस संशोधन के साथ अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ग्राम हिरनोदा के आराजी ख०नं० 457 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मे से 1 बिस्वा आराजी गै०मु० चाह पर पहुचने हेतु गै०मु० रास्ते के रूप मे पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज करते हुए उक्त 1 बिस्वा भूमि का नवीन ख०नं० 457 मिन अंकित कर नक्शे मे रास्ते की तरमीम की जावे तथा ख०नं० 457 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ख०नं० 458 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा का प्रेमदेवी पत्नि रामलाल हि० 2/3 रामलाल पुत्र धीसा हि० 1/3 जाति बलाई सा०देह० को तथा ख०नं० 1658/457 रकबा 13 बिस्वा, ख०नं० 1657/458 रकबा 1 बीघा किता 2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का लालचन्द भागचन्द पि० नाथू जाति बलाई सा०देह० को तथा ख०नं० 456 रकबा 1 बिस्वा व ख०नं० 457 मि० रकबा 1 बिस्वा गै०मु० रास्ता किता 2 कुल रकबा 2 बिस्वा का प्रेमदेवी पत्नि रामलाल हि० 1/2 लालचन्द, भागचन्द पि० नाथू हि० 1/4 रामलाल पुत्र धीसा हि० 1/4 कौम बलाई सा०देह० को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।.....

....निज .... गुबलिग.........

.... बाबत........................ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...........

.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............

...............का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 06 सन् 2018 को दिया गया।

दस्तखत.........

उप खण्ड अधिकारी
सॉंभर लेक

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner